कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागपत।

पत्रांकः—2558 / सा.प्र. / अधिसूचना / 2020 दिनांक : 25.06.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या—59, सन्—1988) की धारा—112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

जहाँ उक्त अधिनियम की धारा—112 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या—1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या—59, 1988) की धारा—112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम—178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद बागपत के नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्ग या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती हैः—

जनपद—बागपत में सड़कों पर किलोमीटर / घंटा अधिकतम गति							
क्र. सं.	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा।				
			मोटर साइकिल	तिपहिया यान	चालक सहित 9सीटों तक वाले यात्री यान	चालक सहित 10 सीट या अधिक सीटवाले यात्री यान	समस्त मालयान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली—यमुनोत्री मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग—709B)	डुंडाहेड़ा पुलिस चौकी से जनपद शामली की सीमा तक	40	40	60	50	50
2.	मेरठ—बागपत मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग—334B)	हिण्डन नदी पुल बालैनी से यमुना नदी पुल तक (हरियाणा सीमा)	40	40	60	50	50
3.	मेरठ—बड़ौत मार्ग (राज्य मार्ग संख्या—119)	बड़ौत से हिण्डन नदी पुल की सीमा तक	40	40	60	50	50

4.	बड़ौत–अमीनगर सराय मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग)	बड़ौत से अमीनगर सराय तक	40	40	50	40	40
5.	मुजफ्फरनगर–बुढ़ाना–बड़ौत मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग)	भड़ल चौकी से बड़ौत तक	40	40	50	40	40
6.	बागपत–मुरादनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	महिला थाना से हिंडन नदी पुल तक	40	40	50	40	40
7.	बंथला–ढिकौली मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	ग्राम–भगौट से ढिकौली होते हुए पिलाना भट्टा तक	40	40	50	40	40
8.	डौला–हिसावदा–बुढ़सैनी –पुरामहादेव मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	डौला से पुरामहादेव तक	40	40	50	40	40
9.	नैथला–मोड़ सेराजपुर–खामपुर होते हुए बड़ौत कोताना जागोस मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	नैथला मोड़ से जागोस तक	40	40	50	40	40
10.	धौलीप्याऊ–चमरावल–सिंघावली पावर हाऊस बुढ़सैनी मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	धौलीप्याऊ से बुढ़सैनी तक	40	40	50	40	40
11.	बड़ौत–टांडा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	बड़ौत से टांडा तक	40	40	50	40	40
12.	टांडा–रमाला मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	टांडा से रमाला तक	40	40	50	40	40
13.	बरनावा–दाहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	बरनावा से दाहा तक	40	40	50	40	40
14.	बड़ौत–कोताना मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	बड़ौत नहर से कोताना तक	40	40	50	40	40
15.	छपरौली से किशनपुर बराल, गांगनौली, दोघट, पुसार होते हुये बरनावा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	छपरौली से बरनावा तक	40	40	50	40	40
16.	पुसार–बरनावा मार्ग से रन्छाड होते हुये बिनौली से कैडवा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	पुसार से कैडवा तक	40	40	50	40	40

17.	ग्राम नंगला काकौर, छपरौली, हेवा, लूम्ब मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	ग्राम नंगला से लूम्ब तक	40	40	50	40	40
18.	बालैनी–पुरामहादेव मन्दिर–बिनौली मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	बालैनी से बिनौली तक	40	40	50	40	40

- ❖ यदि गति, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गति के पाँच प्रतिशत के अंदर पाई जाती है, तो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 183 के अधीन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
- ❖ क्रम संख्या 1 से 3 तक के मार्गो पर नगरीय क्षेत्रों की अधिकारिता को छोड़कर अन्य आबादी क्षेत्रों में मोटर साइकिल हेतु 40–किलोमीटर/घंटा, तिपहिया यान हेतु 30–किलोमीटर/घंटा, चालक सहित 10 सीट या अधिक सीट वाले यात्रीयान एवं समस्त मालयान हेतु 30–किलोमीटर/घंटा अधिकतम गति सीमा निर्धारित की जाती है।
- ❖ क्रम संख्या 4 से 18 तक के प्रमुख जिलामार्ग एवं अन्य जिला मार्ग पर मोटर साइकिल हेतु 30 किलोमीटर/घंटा, चालक सहित 9 सीटों तक वाले यात्री यान हेतु व चालक सहित 10 सीट या अधिक सीट वाले यात्रीयान हेतु 30 किलोमीटर/घंटा एवं तिपहिया यान हेतु 30–किलोमीटर/घंटा अधिकतम गति सीमा निर्धारित की जाती है।

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड आई0आर0सी कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी दिखायी दें।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

(अ) अग्नि शमन वाहन।

(ब) एम्बुलेंस।

(स) पुलिस/प्रशासनिक वाहन।

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित मार्गों/मार्ग भाग को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, सन्–1988) की धारा–112 की उपधारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत् लागू रहेगी।

(सुभाष चन्द राजपूत)
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) बागपत।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, बागपत।
4. पुलिस अधीक्षक, बागपत।
5. निदेशक, छपाई एवं मुदण सांमग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के आगामी गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0),उत्तर प्रदेश, लखनऊ
7. उप परिवहन आयुक्त, मेरठ (परिक्षेत्र), मेरठ।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), मेरठ।
9. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बागपत एवं अधिशासी अभियन्ता (लो0नि0वि0) प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, बागपत को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त मार्गों पर आवश्यकतानुसार साईनेज तथा स्पीड लिमिट बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।
10. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बागपत।
11. जिलासूचना अधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

25/06/2020

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) बागपत।